इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2011—ज्येष्ठ 6, शक 1933

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2011

क्रमांक बी 11/05/2011/14–2 भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011/04/2004 – केडिट –2 दिनांक 10 मार्च 2011 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन द्वारा पायलट आधार पर एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी, इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी, एच.डी.एफ.सी अरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी, चोला एम.एस जनरल इश्योरेंस कंपनी, के माध्यम से मौसम आधारित (पायलट) फसल बीमा योजना को खरीफ 2011 के लिये निम्न सूची अनुसार अधिसूचित की जाती है।

2. मध्यप्रदेश राज्य में मौसम आधारित (पायलट) फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2011 के जिलों, तहसीलों फसलों एवं बीमा कंपनीयों की सूची निम्नानुसार है।

क्र.	जिला	अधिसूचित तहसील	अधिसूचित फसल	कृषक श्रेणी	बीमा कंपनी
1.	सीहोर	सभी तहसीलें	सोयाबीन	**ऋणी और अऋणी कृषक**	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	होशंगाबाद–1	बनखेडी	सोयाबीन	**ऋणी और अऋणी कृषक**	आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी
		पिपरिया	सोयाबीन		
		सोहागपुर	सोयाबीन		
		होशंगाबाद	सोयाबीन		
3.	होशंगाबाद–2	इटारसी	सोयाबीन	**ऋणी और अऋणी कृषक**	इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी
		सिवनी–मालवा	सोयाबीन		
		डोलरिया	सोयाबीन		
		बावई	सोयाबीन		
4.	खण्डवा–1	खण्डवा	सोयाबीन	**ऋणी और अऋणी कृषक**	एच.डी.एफ.सी अरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी
		पंधाना	सोयाबीन		
		हरसूद	सोयाबीन		
5.	खण्डवा–2	पुनासा	सोयाबीन	**ऋणी और अऋणी कृषक**	चोला एम.एस. जनरल इश्योरेंस कंपनी
		खालवा	सोयाबीन		

उपरोक्त उल्लेखित प्रत्येक बीमा कंपनी कुल बीमांकन का कम से कम 10 प्रतिशत अऋणी कृषको को बीमांकित करने का प्रयास करेंगी।

3. मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत, बीमा कंपनीयोंवार कुल देय प्रीमियम राशि (जिसमें कृषको द्वारा देय कुल प्रीमियम राशि भी सम्मलित है) जोखिम अवधि अवरित जोखिम बीमा राशि बीमा हेतु जिलेवार तहसीलवार अंतिम तिथियाँ संदर्भित एवं वैकल्पिक मौमस केन्द्रों का विवरण आदि निम्न परिशिष्टों पर संलग्न है।

परिशिष्ट 1 अ –मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पायलट) खरीफ 2011
क्रियान्वयन ऐजेन्सी – एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित एवं वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलावार बीमित राशि प्रीमियम की दरे, सराकरी अनुदान और किसान द्वारा देय प्रीमियम ।

परिशिष्ट 1 ब –एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पायलट) खरीफ 2011
टर्म शीट (Term sheet)

परिशिष्ट 2अ – मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पायलट) खरीफ 2011
क्रियान्वयन ऐजेन्सी – आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित एवं वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलावार बीमित राशि प्रीमियम की दरे, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा देय प्रीमियम ।

परिशिष्ट 2 ब – आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी
मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पायलट) खरीफ 2011
टर्म शीट (Term sheet)

परिशिष्ट 3 अ –मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पायलट) खरीफ 2011
क्रियान्वयन ऐजेन्सी – इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी
संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित एवं वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलावार बीमित राशि प्रीमियम की दरे, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा देय प्रीमियम ।

परिशिष्ट 3 ब –इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी
मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पायलट) खरीफ 2011
टर्म शीट (Term sheet)

परिशिष्ट 4 अ –मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पायलट) खरीफ 2011
क्रियान्वयन ऐजेन्सी – एच.डी.एफ.सी अरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी
संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित एवं वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलावार बीमित राशि प्रीमियम की दरे, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा देय प्रीमियम।

परिशिष्ट 4 ब –एच.डी.एफ.सी अरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी
मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पायलट) खरीफ 2011
टर्म शीट (Term sheet)

परिशिष्ट 5 अ –मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पायलट) खरीफ 2011
क्रियान्वयन ऐजेन्सी – चोला मण्डलम एम.एस जनरल इश्योरेंस कंपनी
संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित एवं वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलावार बीमित राशि प्रीमियम की दरे, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा देय प्रीमियम ।

परिशिष्ट 5 ब –चोला मण्डलम एम.एस जनरल इश्योरेंस कंपनी
मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पायलट) खरीफ 2011
टर्म शीट (Term sheet)

4. इस योजना का क्रियान्वयन खरीफ 2011 मौसम में निम्नानुसार किया जाएगा :–

4.1 जिस क्षेत्र और फसल के लिए एक से अधिक बीमा कंपनीयाँ मौसम आधारित (पायलेट) फसल बीमा योजना क्रियान्वित कर रही है, उन अधिसूचित क्षेत्रों (तहसील/पटवारी हल्का) में इा योजना में अधिसूचित फसलों के लिए ऋणी कृषको को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना उपलब्ध नही होगी, परंतु अऋणी कृषक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना या मौसम आधारित फसल बीमा योजना में से किसी एक योजना का चुनाव कर सकते है।

4.2 यह पायलेट योजना अधिसूचित फसल व क्षेत्र के सभी किसानों को उपलब्ध होगी किन्तु योजना **ऋणी किसानों के लिये अनिवार्य** तथा **अऋणी किसानों के लिये स्वैच्छिक होगी।**

4.3 इस योजना हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार ऋणी किसान वही है, जिनके लिये अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिये संदर्भित इकाई क्षेत्र में वित्तीय संस्थान से अनुमोदित ऋण/साख स्वीकृत किया गया है।

4.4 बीमित राशि लगभग कृषि कार्य खर्च के बराबर रहेगी और एआईसी/ आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड/इफको टोकियो/एच.डी.एफ.सी अरगो/चोला एम.एस द्वारा पहले इसकी घोषणा कर दी जाएगी, जिसका विवरण परिषिष्ट 1–अ से 5–अ पर है।

व्यक्तिगत कृषक के लिए बीमित राशि कृषक द्वारा घोषित जोत के अन्तर्गत अधिसूचित फसल के लिए रकबा (हेक्टेयर मे) एवं अधिसूचना में दर्शायी गयी बीमित राशि प्रति हेक्टेयर का गुणांक होगा। गणना निम्न सूत्रानुसार की जायेगी।

(बीमित राशि = जोत के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर) x पूर्व निर्धारित बीमा राशि प्रति हेक्टेयर)

4.5 फसलवार जोत के अंतर्गत क्षेत्र की प्रति फसल के आधार पर निम्नानुसार गणना होगी :—

अ. ऋणी कृषक :— अधिसूचित फसल के लिए जोत के अंतर्गत रकबे की घोषणा उसके द्वारा पहले ही, वित्तीय संस्था में उसकी अधिकतम ऋण सीमा (मैक्जीमम बारोइंग लिमिट, एमबीएल) निश्चित करने के उद्देश्य के लिए ऋण आवेदन पत्र में दिए गए आधार पर कर दी गई है।

ब. अऋणी कृषक :— किसान बीमा प्रस्ताव पत्र में प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए जोत के अंतर्गत रकबे की घोषणा करेगा।

4.6 इस योजना का संचालन अधिसूचित संदर्भित क्षेत्र के क्षेत्र दृष्टिकोण (एरिया एप्रोच) सिद्धांत के आधार पर होगा। क्षेत्र दृष्टिकोण का आशय, संदर्भित इकाई क्षेत्र से संबंधित है। संदर्भित इकाई क्षेत्र को फसलों की जोखिम स्वीकार करने और दावा आंकलन के लिए बीमित इकाई क्षेत्र माना गया है।

4.7 प्रीमियम दर की गणना वास्तविक आधार पर मानक प्रीमियम दर विधि (स्टैंडर्ड प्रीमियम रेटिंग मेथेडोलोजी) का उपयोग कर की गई है। किसान द्वारा शुद्ध प्रीमियम राशि खाद्य व तिलहन फसलों के लिये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि के बराबर देय होगी एवं व्यावसायिक फसल हेतु प्रीमियम राशि का एक भाग कृषक द्वारा तथा शेष बची हुई प्रीमियम राशि का राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा 50:50 के अनुपात में अनुदान के रूप में वहन किया जायेगां (फसलवार क्षेत्रवार व्यौरा परिशिष्ट 1—अ से परिशिष्ट 5—अ में दिया गया है।

4.8 प्रतिकूल मौसम घटनाक्रम की वजह से एवं योजना की शर्तो एवं प्राप्त प्रीमियम राशि तथा भुगतान सारणी के अधीन देय समस्त क्षतिपूर्ति/भुगतान हेतु संबंधित बीमा कंपनी (एआईसी/ आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड/इफको टोकियो/एच.डी.एफ.सी अरगो/चोला एम.एस) उत्तरदायी होगी। सभी प्रकार के दावों का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

5. दावा भुगतान प्रक्रिया :—

क. दावा राशि का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा मौसम केन्द्र से वर्षा के आंकडे प्राप्त होने या योजना के प्रावधानो के अनुसार कृषको को किया जायेगा।

ख. चालू वर्ष में मौसम के आंकडो का स्त्रोत परिशिष्ट 1अ से 5अ में दर्शाया गया है। दावा प्रक्रिया स्वचलित होगी। संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दावों का आंकलन प्राप्त वास्तविक मौसम के आंकडे के आधार पर किया जायेगा, बीमित के खाते में शीर्ष बैंक वित्तीय संस्था का उपयोग करते हुये दावा राशि स्वयं ही जमा करा दी जायेगी।

6. अधिसूचित तहसीलों एवं फसलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत प्रायोजित फसल कटाई प्रयोगो का आयोजन यथावत किया जाएगा। किन्तु इन प्रयोगो के परिणाम का कोई असर दावों की गणना अथवा भुगतान पर नही पडेगा।

7. अऋणी कृषको का भौतिक सत्यापन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय कृषि अधिकारी और उपसंचालक कृषि के द्वारा किया जायेगा तत्पश्चात् ही राज्य शासन प्रीमियम अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

8. सभी अन्य बीमा कंपनीयों को बीमे की कार्यवाही ए.आई.सी. के अनुरूप बैंको के माध्यम से करना होगा।

9. सभी बीमा कंपनीयाँ (जो इस योजना के कार्यान्वयन में भाग ले रही है।) द्वारा व्यापक प्रचार – प्रसार करके किसानों को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. एच. बी. एस. भदौरिया, उपसचिव.

परिशिष्ट : 1 अ

मध्यप्रदेश राज्य मौसम आधारित बीमा योजना (पायलट) मौसम खरीफ 2011

क्रियान्वयन ऐजेन्सी :— एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौम केन्द फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा देय प्रीमियम

क्र.	फसल	जिला	संदर्भित इकाई क्षेत्र/तहसील	सदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आवुरित मौसम जोखिम एवं आवुरण के अनुसार जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रू)	प्रीमियम राशि प्रति हेक्टर (रू)	राज्य सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेक्टर) (रू)	केन्द्र सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेक्टर (रू)	किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि प्रति हेक्टर (रू)	बीमा करने की अंतिम तिथि		ए.आई.सी. को घोषणा पत्र प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम तिथि	
												ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	ऋणी कृषक	अऋणी कृषक
1	सोयाबीन	सीहोर	सीहोर	सीहोर स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)	IMD भोपाल	1.अ. वर्षा में कमी (1 जुलाई 2011 से 15 अक्टूबर 2011 तक) 1.ब. वर्षा वितरण (1 जुलाई 2011 से 31 अगस्त 2011) 2.अधिक वर्षा (10 जुलाई 2011 से 31 अक्टूबर 2011)	20000.00	2000.00	650.00	650.00	700.00	30 जुलाई 2011	30 जून 2011	31 अगस्त 2011	30 जुलाई 2011
2	सोयाबीन	सीहोर	आष्टा	आष्टा स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)	IMD भोपाल	1.अ. वर्षा में कमी (1 जुलाई 2011 से 15 अक्टूबर 2011 तक) 1.ब. वर्षा वितरण (1 जुलाई 2011 से 31 अगस्त 2011) 2.अधिक वर्षा (10 जुलाई 2011 से 31 अक्टूबर 2011)	20000.00	2000.00	650.00	650.00	700.00	30 जुलाई 2011	30 जून 2011	31 अगस्त 2011	30 जुलाई 2011
3	सोयाबीन	सीहोर	बुधनी	बुधनी स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)	IMD भोपाल	1.अ. वर्षा में कमी (1 जुलाई 2011 से 15 अक्टूबर 2011 तक) 1.ब. वर्षा वितरण (1 जुलाई 2011 से 31 अगस्त 2011) 2.अधिक वर्षा (10 जुलाई 2011 से 31 अक्टूबर 2011)	20000.00	2000.00	650.00	650.00	700.00	30 जुलाई 2011	30 जून 2011	31 अगस्त 2011	30 जुलाई 2011
4	सोयाबीन	सीहोर	इछावर	इछावर स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)	IMD भोपाल	1.अ. वर्षा में कमी (1 जुलाई 2011 से 15 अक्टूबर 2011 तक) 1.ब. वर्षा वितरण (1 जुलाई 2011 से 31 अगस्त 2011) 2.अधिक वर्षा (10 जुलाई 2011 से 31 अक्टूबर 2011)	20000.00	2000.00	650.00	650.00	700.00	30 जुलाई 2011	30 जून 2011	31 अगस्त 2011	30 जुलाई 2011
5	सोयाबीन	सीहोर	नसरूल्लागंज	नसरूल्लागंज स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)	IMD भोपाल	1.अ. वर्षा में कमी (1 जुलाई 2011 से 15 अक्टूबर 2011 तक) 1.ब. वर्षा वितरण (1 जुलाई 2011 से 31 अगस्त 2011) 2.अधिक वर्षा (10 जुलाई 2011 से 31 अक्टूबर 2011)	20000.00	2000.00	650.00	650.00	700.00	30 जुलाई 2011	30 जून 2011	31 अगस्त 2011	30 जुलाई 2011

* स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL- National Collateral Management Services Ltd.)

**भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केन्द्र (IMD - India Meteorological Department)

परिशिष्ट : 1 ब

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
मौसम आधारित फसल बीमा योजना : खरीफ–2011
प्रारूप तालिका

फसल : सोयाबीन
जिला : सीहोर
तहसील : सीहोर, आष्टा, बुधनी, इछावर, नसरूल्लागंज
संदर्भित मौसम केन्द्र : **NCMSL** सीहोर, आष्टा, बुधनी, इछावर, नसरूल्लागंज

राज्य : मध्य प्रदेश
इकाई – हेक्टेयर
कुल बीमित राशि : 20000
वैकल्पिक **(Backup)** मौसम केन्द्र : **IMD Bhopal**

आवरण I वर्षा में कमी (Deficit Rainfall)

I (अ) वर्षा का आयतन

उद्देश्य :	बीमा अवधि के दौरान वर्षा में कमी के लिए आवरण।		
आवरण अवधि :	1 जुलाई 2011 से 15 अक्टूबर 2011 तक		
आवरण की परिभाषा :	आवरण अवधि के दौरान प्रत्येक अवस्था की कुल वर्षा। (Aggregate of rainfall over respective phases.)		
	अवस्था – प्रथम	अवस्था – द्वितीय	अवस्था – तृतीय
	1 जुलाई से 31 जुलाई	1 अगस्त से 25 अगस्त	26 अगस्त से 15 अक्टूबर
संकेतक I (<)	160 मि.मी.	240 मि.मी.	100 मि.मी.
संकेतक II (<)	75 मि.मी.	100 मि.मी.	40 मि.मी.
निर्गम	10 मि.मी.	10 मि.मी.	10 मि.मी.
भुगतान दर I (रू./मि.मी.)	12.00	15.00	15.00
भुगतान दर II (रू./मि.मी.)	30.46	32.22	103.33
अधिकतम भुगतान (रू.)	3000	5000	4000
आवरण के अंतर्गत कुल भुगतान	12000		

I ब वर्षा वितरण (Rainfall Distribution)

उद्देश्य :	बीमा अवधि के दौरान लगातार सूखे दिनों से फसल को होने वाले नुकसान के लिये आवरण।				
आवरण अवधि :	1 जुलाई 2011 से 31 अगस्त 2011 तक				
संकेतक दिन (>=)	15	20	25	30	35
भुगतान (रू.)	700	1200	2000	3000	4000
आवरण के अंतर्गत कुल भुगतान	4000				

नोटः किसी भी दिन यदि वर्षा 2.5 मि.मी. से कम रिकार्ड होती है तो उसे सूखा दिन माना जायेगा।

आवरण II अधिक वर्षा (Excess Rainfall)

उद्देश्य :	बीमा अवधि के दौरान अधिक वर्षा से फसल को होने वाले नुक्सान के लिए आवरण।		
आवरण अवधि :	10 जुलाई 2011 से 31 अक्टूबर 2011 तक		
आवरण की परिभाषा :	प्रत्येक अवस्था में लगातार 3 दिनों की संचित अधिकतम वर्षा। (Maximum of 3 consecutive days cummulative rainfall in respective phases)		
	अवस्था – प्रथम	अवस्था – द्वितीय	अवस्था – तृतीय
	10 जुलाई से 31 जुलाई	1 अगस्त से 15 सितम्बर	16 सितम्बर से 31 अक्टूबर
संकेतक (>)	150 मि.मी.	225 मि.मी.	60 मि.मी.
निर्गम	300 मि.मी.	325 मि.मी.	120 मि.मी.
भुगतान दर I (रू./मि.मी.)	5.33	12.00	33.33
अधिकतम भुगतान (रू.)	800	1200	2000
आवरण के अंतर्गत कुल भुगतान	4000		

बीमित राशि और प्रीमियम राशि का विवरण (रू.में)

इकाई	कुल बीमित राशि	प्रीमियम में कृषक का अंश	प्रीमियम में राज्य सरकार का अंश	प्रीमियम में केन्द्र सरकार का अंश	कुल	कृषक द्वारा देय प्रीमियम
प्रति हेक्टेयर (रू.)	20000	700	650	650	2000	700.00
प्रति ऐकड़ (रू.)	8000	280	260	260	800	280.00

नोट : बीमित राशि के 2.50 % पर फ्रेन्चाईस (Franchise) लागू होगा अर्थात 500 रू. से कम की कुल क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

नोट : किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंग्रेजी प्रारूप मान्य होगा।

परिशिष्ट : 2 अ

मध्यप्रदेश राज्य मौमस आधारित बीमा योजना (पायलट) मौसम खरीफ 2011

क्रियान्वयन ऐजेन्सी :— **आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी**

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा देय प्रीमियम

क्र	फसल	जिला	संदर्भित इकाई क्षेत्र / तहसील	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम एवं आवरण के अनुसार जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रू)	प्रीमियम राशि प्रति हेक्टर (रू)	राज्य सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेक्टर) (रू)	केन्द्र सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेक्टर (रू)	किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि प्रति हेक्टर (रू)	बीमा करने की अंतिम दिनांक		बीमा कंपनी की घोषणा पत्र प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक	
												ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	ऋणी कृषक	अऋणी कृषक
1			होशंगाबाद	होशंगाबाद (एन.सी.एम.एस.एल)*											
2			बाबई	बाबई (एन.सी.एम.एस.एल)*		कम बारिश (25 जून 2011 से 15 अक्टूबर 2011)									
3			सोहागपुर	सोहागपुर (एन.सी.एम.एस.एल)*											
4			पिपारिया	पिपारिया (एन.सी.एम.एस.एल)*	भा. मौ. वि.के. **	अधिक बारिश (25 जून 2011 से 15 अक्टूबर 2011)									
5	सोयाबीन	होशंगाबाद	इटारसी	इटारसी(एन.सी.एम.एस.एल)*			18000	1800	585	585	630	25 जुलाई 2011	25 जून 2011	25 अगस्त 2011	25 जुलाई 2011
6			सिवनी–मालवा	सिवनी–मालवा (एन.सी.एम.एस.एल)*											
7			डोलरिया	डोलरिया (एन.सी.एम.एस.एल)*		सूखे दिन (01 जुलाई 2011 से 31 अगस्त 2011)									
8			बनखेडी	बनखेडी (एन.सी.एम.एस.एल)*											

*एन.सी.एम.एस.एल - स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL- National Collateral Management Services Ltd.)

**भा. मौ.वि.के. . भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केन्द्र (IMD - India Meteorological Department)

परिशिष्ट :– 2 ब

आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी
मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ –
टर्म – शीट (Term Sheet)

फसल – सोयाबीन
जिला – होशंगाबाद
तहसील – अधिसूचनानुसार तहसील
संदर्भ मौसम केन्द्र– स्वचालित मौसम केन्द्र एन.सी.एम.एस.एल – अधिसूचनानुसार

पॉलिसी का विवरण

आपदा – 1 : (25 जून 2011 से 15 अक्टूबर 2011) कम बारिश
आपदा – 2 : (25 जून 2011 से 15 अक्टूबर 2011) अधिक बारिश
आपदा – 3 : (01 जुलाई 2011 से 31 अगस्त 2011) सूखे दिन

आपदा – 1 कम बारिश

मौसम सूचकांक – संरक्षण अवधि के दौरान मिमी में कुल बारिश.

बीमा कालावधी	25 जून 2011 से 15 जुलाई 2011	16 जुलाई 2011 से 31 जुलाई 2011	01 अगस्त 2011 से 25 अगस्त 2011	26 अगस्त 2011 से 15 अक्टूबर 2011
दावा भुगतान स्तर 1(मिमी)	90	100	205	110
दावा भुगतान स्तर 2(मिमी)	25	20	105	30
सम्पूर्ण भुगतान स्तर(मिमी)	5	5	55	10
सांकेतिक (नोशनल) 1 – दावा भुगतान स्तर 1 और दावा भुगतान स्तर 2 के बीच प्रमाणित हानि दर (रू/मिमी/हेक्टेयर)	10	13	13	6
सांकेतिक (नोशनल) 2 – दावा भुगतान स्तर 2 और सम्पूर्ण दावा भुगतान स्तर के बीच प्रमाणित हानि दर (रू/मिमी/हेक्टेयर)	68	133	45	50
बीमा राशि (रू/हेक्टेयर)	2000	3000	3500	1500

आपदा – 2 अधिक बारिश

मौसम सूचकांक : संरक्षण अवधि के दौरान 3 लगातार दिनों में मिमी में संबंधी बीमा कालावधि में अधिकतम बारिश

बीमा कालावधी	25 जून 2011 से 31 जुलाई 2011	01 अगस्त 2011 से 15 सितंबर 2011	16 सितंबर 2011 से 15 अक्टूबर 2011
दावा भुगतान स्तर (मिमी)	140	165	70
सम्पूर्ण भुगतान स्तर (मिमी)	440	465	270
सांकेतिक (नोशनल) (रू/मिमी/हेक्टेयर)	3	5	8
बीमा राशि (रू/हेक्टेयर)	1000	1500	1500

<u>आपदा – 3 सूखे दिन</u>

मौसम सूचकांक : लगातार सूखे के दिनो की अधिकतम संख्या जहां सूखा दिन वह दिन जिसमें 2.5 मिमी या उससे कम बारिश हुई हो.

बीमा कालावधी	**01 जुलाई 2011 से 31 अगस्त 2011**
दावा भुगतान स्तर 1 (दिन)	11
दावा भुगतान स्तर 2 (दिन)	21
सम्पूर्ण भुगतान स्तर (दिन)	31
सांकेतिक (नोशनल) 1– दावा भुगतान स्तर 1 और दावा भुगतान स्तर 2 के बीच प्रमाणित हानि दर (रू/दिन/हेक्टेयर)	135
सांकेतिक (नोशनल) 2– दावा भुगतान स्तर 2 और सम्पूर्ण भुगतान स्तर के बीच प्रमाणित हानि दर (रू/दिन/हेक्टेयर)	265
बीमा राशि (रू/हेक्टेयर)	4000

कुल संयुक्त बीमा राशि (रू/हेक्टेयर)	18000.00
कुल प्रीमियम (रू/हेक्टेयर)	1800
भारत शासन प्रीमियम (रू/हेक्टेयर)	585
राज्य शासन अनुदान प्रीमियम (रू/हेक्टेयर)	585
कृषक भागीदारी प्रीमियम (रू/हेक्टेयर)	630

परिशिष्ट : 3 अ

मध्यप्रदेश राज्य मौसम आधारित बीमा योजना (पायलट) मौसम खरीफ 2011

क्रियान्वयन ऐजेन्सी :— इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा देय प्रीमियम

क्र	फसल	जिला	स्दर्भित इकाई क्षेत्र/ तहसील	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम एवं आवरण के अनुसार जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रू)	प्रीमियम राशि प्रति हेक्टर (रू)	राज्य सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेक्टर) (रू)	केन्द्र सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेक्टर (रू)	किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि प्रति हेक्टर (रू)	बीमा करने की अंतिम तिथि		बीमा कंपनी को धोषणा पत्र प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम तिथि	
												ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	ऋणी कृषक	अऋणी कृषक
1			होशंगाबाद	होशंगाबाद (NCML)											
2			सिवनी—मालवा	सिवनी—मालवा (NCML)		कम वर्षा आवरण (25 जून 2011 से 15 अक्टूबर 2011)									
3			इटारसी	इटारसी (NCML)											
4	सोयाबीन	होशंगाबाद	बाबई	बाबई (NCML)	IMD	अधिक वर्षा आवरण (25 जून 2011 से 15 अक्टूबर 2011)	18000	1800	585	585	630	25 जुलाई 2011	25 जून 2011	25 अगस्त 2011	25 जुलाई 2011
5			सोहागपुर	सोहागपुर (NCML)											
6			पिपारिया	पिपारिया (NCML)											
7			डोलरिया	डोलरिया (NCML)		लगातार सूखे दिनों का आवरण (05 जुलाई 2011 से 15 सितम्बर 2011)									
8			बनखेडी	बनखेडी (NCML)											

परिशिष्ट–3 ब

इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि
मौसम आधारित बीमा योजना (पायलट) मौसम खरीफ 2011
टर्म – शीट (Term Sheet)

- पॉलिसी अवधि – 25 जून 2011 से 15 अक्टूबर 2011 तक
- फसल बीमित – सोयाबीन
- जिला – होशंगाबाद (मध्यप्रदेश)
- संदर्भ मौसम केन्द्र –एन.सी.एम.एस.एल स्वाचालित मौसम केन्द्र (AWS) – होशंगाबाद, सिवनी मालवा, ईटारसी, बाबई, सोहागपुर, पिपरिया, डोलारिया एवं बनखेड़ी।
- अधिकतम बीमित राशि प्रति हैक्टेयर

मौसम जोखिम	बीमित राशि (रू.)
कम वर्षा आवरण	10000/–.
अधिक वर्षा आवरण	5000/–
लगातार सूखे दिनों का आवरण	3000/–
कुल बीमित राशि (रू. प्रति हैक्टेयर)	18000/–

तालिका 1 :

चरणवार मौसम खतरों का आवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	चरण 4
	25 जून से 10 जुलाई 2011	11 जुलाई से 31 जुलाई 2011	1 अगस्त से 31 अगस्त 2011	1 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2011
कम वर्षा आवरण	लागू	लागू	लागू	लागू
अधिक वर्षा आवरण	लागू	लागू	लागू	लागू
लगातार सूखे दिनों का आवरण	5 जुलाई 2011 से 15 सितम्बर 2011 तक			

तालिका (2) कम वर्षा आवरण

सूचकांक	जब चरणवार संचयी वर्षा निर्दिष्ट सीमा से कम हो।			
चरण आवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	चरण 4
आवरण अवधि	25 जून से 10 जुलाई 2011	11 जुलाई से 31 जुलाई 2011	1 अगस्त से 31 अगस्त 2011	1 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2011
वर्षा स्ट्राइक 1 (मिली. मीटर)	कुल वर्षा 60 मिली. मीटर से कम तथा 25 मिली. मीटर से अधिक	कुल वर्षा 100 मिली. मीटर से कम तथा 40 मिली. मीटर से अधिक	कुल वर्षा 180 मिली. मीटर से कम तथा 70 मिली. मीटर से अधिक	कुल वर्षा 40 मिली. मीटर से कम तथा 20 मिली. मीटर से अधिक
वर्षा स्ट्राइक 2 (मिली. मीटर)	कुल वर्षा 25 मिली. मीटर से कम तथा 10 मिली. मीटर से अधिक	कुल वर्षा 40 मिली. मीटर से कम तथा 10 मिली. मीटर से अधिक	कुल वर्षा 70 मिली. मीटर से कम तथा 15 मिली. मीटर से अधिक	कुल वर्षा 20 मिली. मीटर से कम तथा 10 मिली. मीटर से अधिक
एक्जिट (मिली. मीटर)	10	10	15	10
दावा भुगतान गणना विधि	(वर्षा स्ट्राइक) – (एक चरण की वास्तविक वर्षा) X नोशनल (हर चरण की गणना पृथक करे)			
नोशनल प्रति (मिली. मीटर) स्ट्राइक – 1	रू. 15	रू. 15	रू. 25	रू. 25
नोशनल प्रति (मिली. मीटर) स्ट्राइक – 2	रू. 50	रू. 42	रू. 50	रू. 58
चरणवार अधिकतम भुगतान राशि (रूपये में)	1270/– चरण 1 में	2150/– चरण 2 में	5500/– चरण 3 में	1080/– चरण 4 में
कम वर्षा आवरण में अधिकतम भुगतान राशि (रूपये में)	10000/–			

तालिका (3) अधिक वर्षा आवरण

सूचकांक	जब किसी भी एक चरण में निरंतर दो दिन की वर्षा निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो।			
चरण आवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	चरण 4
आवरण अवधि	25 जून से 10 जुलाई 2011	11 जुलाई से 31 जुलाई 2011	1 अगस्त से 31 अगस्त 2011	1 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2011
वर्षा स्ट्राइक (मिली. मीटर)	150	200	225	200
दावा भुगतान गणना विधि	चरणवार सभी अतिरिक्त वर्षा का कुल जोड़ X (गुणा) नोशनल, जहाँ कुल अतिरिक्त वर्षा – ERC = (किसी भी लगातार दो दिनों की संचयी वर्षा – स्ट्राइक)			
नोशनल प्रति मिली. मीटर	रू. 15	रू. 15	रू. 20	रू. 50
चरणवार अधिकतम भुगतान राशि (रूपये में)	1000/ चरण 1	1000/– चरण 2	1500/– चरण 3	1500/– चरण 4
अधिक वर्षा आवरण में अधिकतम भुगतान राशि (रूपये में)	रू. 5000/–			

तालिका (4) लगातार सूखे दिनों का आवरण

सूचकांक	वह सूखे दिन जब लगातार दैनिक वर्षा 2.5 मिली. मीटर से कम हो				
अवधि	5 जुलाई 2011 से 15 सितम्बर 2011 तक				
	भुगतान गणना				
स्ट्राइक – लगातार सूखे दिनो की संख्या	15 दिनों से अधिक या उसके बराबर	22 दिनों से अधिक या उसके बराबर	30 दिनों से अधिक या उसके बराबर	40 दिनों से अधिक या उसके बराबर	60 दिनों से अधिक या उसके बराबर
दावा देय राशि (रूपये में)	रू. 500/–	रू. 800/–	रू. 1500/–	रू. 2500/–	रू. 3000/–
लगातार सूखे दिनों के आवरण में अधिकतम दावा देय राशि (रूपये में)	3000/–				

तालिका (5) बीमित राशि, प्रीमियम तथा फ्रेचाइज

अधिकतम बीमित राशि रू/हैक्टेयर (अधिक वर्षा + कम वर्षा + लगातार सूखे दिनों का आवरण)	रू. 18000/–
वास्तविक भुगतान राशि (रूपये में)	अधिक वर्षा के आवरण का भुगतान + कम वर्षा के आवरण का भुगतान + लगातार सूखे दिनों के आवरण का भुगतान
पॉलिसी फ्रेचाइज प्रति हैक्टेयर	रू. 180/–
कुल प्रीमियम राशि प्रति हैक्टेयर	रू. 1800/–
कृषक द्वारा देय प्रीमियम प्रति हैक्टेयर	रू. 630/–

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

- कम वर्षा आवरण के लिए : एक चरण में अगर वहाँ दो स्ट्राइक है, तो दावे का मूल्यांकन, अगर कोई हो तो उपयुक्त दोनों स्ट्राइक के आधार पर किया जावेगा।
- यह योजना किसी भी राज्य एजेंसी द्वारा सूखा या बाढ़ की घोषणा से नही जुडी है।

शब्द	**परिभाषा**
नोशनल	देय राशि प्रति मिली मीटर
स्ट्राइक	थ्रेशहोल्ड स्तर जिसके ऊपर दावा/भुगतान की गणना की जाती है।
पॉलिसी फ्रेचाइज	अगर वास्तविक भुगतान पॉलिसी फ्रेचाइज से अधिक हो तो वास्तविक भुगतान देय होगा। लेकिन अगर वास्तविक भुगतान पॉलिसी फ्रेचाइज से कम हो तो वास्तविक भुगतान शून्य होगा ।

किसी भी विवाद की स्थिति में अग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

परिशिष्ट : 4 अ

मध्यप्रदेश राज्य मौसम आधारित बीमा योजना (पायलट) मौसम खरीफ 2011

कियान्वयन ऐजेन्सी :- एच.डी.एफ.सी एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौम केन्द फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान अैार किसान द्धारा देय प्रीमियम

कं.	फसल	जिला	संदर्भित इकाई क्षेत्र/तहसील	सदर्भित मौसम केन्र्द	वैकल्पिक बेकअप मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम एवं आवरण के अनुसार जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रू)	प्रीमियम राशि प्रति हेक्टर (रू)	राज्य सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेक्टर) (रू)	केन्द्र सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेक्टर (रू)	किसान द्धारा देंय प्रीमियम राशि प्रति हेक्टर (रू)	बीमा करने की अंतिम दिनांक		बीमा कंपनी को धोषणा पत्र प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक	
												ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	ऋणी कृषक	अऋणी कृषक
अ	सोयाबीन	खंडवा	खालवा	NCMSL-खालवा	IMD-खंडवा	25 जून 2011से 14 अक्टूवर 2011	18000/-	1800/-	585/-	585/-	630/-	25 जुलाई 2011	25 जून 2011	25 अगस्त 2011	25 जुलाई 2011
ब	सोयाबीन	खंडवा	पंधाना	NCMSL-पंधाना	IMD-खंडवा	25 जून2011से 14 अक्टूवर 2011	18000/-	1800/-	585/-	585/-	630/-	25 जुलाई 2011	25 जून 2011	25 अगस्त 2011	25 जुलाई 2011
स	सोयाबीन	खंडवा	हरसूद	NCMSL-इरसुद	IMD-खंडवा	25 जून2011से 14 अक्टूवर 2011	18000/-	1800/-	585/-	585/-	630/-	25 जुलाई 2011	25 जून 2011	25 अगस्त 2011	25 जुलाई 2011
द	सोयाबीन	खंडवा	खंडवा	IMD-खंडवा	IMD-खंडवा	25 जून2011से 14 अक्टूवर 2011	18000/-	1800/-	585/-	585/-	630/-	25 जुलाई 2011	25 जून 2011	25 अगस्त 2011	25 जुलाई 2011
य	सोयाबीन	खंडवा	पुनासा	NCMSL-पुनासा -	IMD-खंडवा	25 जून2011से 14 अक्टूवर 2011	18000/-	1800/-	585/-	585/-	630/-	25 जुलाई 2011	25 जून 2011	25 अगस्त 2011	25 जुलाई 2011

परिशिष्ट 4 ब

एच.डी.एफ.सी एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

मौसम आधारित बीमा योजना - सोयाबीन - खंडवा

फसल	सोयाबीन	जिला	खंडवा
संदर्भित मौसम केंद्र	**NCMSL:** खालवा पंधाना,हरसूद,पुनासा,खण्डवा	पोलिसी संरक्षण अवधि	25 जून 2011 से 14 अक्टूबर 2011
बेकअप मौसम केन्द्र	IMD- खंडवा		
१. अल्पवृष्टि आपदा संरक्षण			
अवस्था अवधि	25 जून 2011 से 31जुलाई 2011	1 अगस्त 2011 से 14 सितम्बर 2011	
सूचकांक	मिमी. में संरक्षण अवधि के दौरान संवर्धित बारिश		
स्ट्राइक १ (मिमी)	140.00	200.00	
स्ट्राइक २ (मिमी)	35.00	55.00	
एक्सिट(मिमी)	15.00	30.00	
नोशनल१ (रु/मिमी/हेक्ट)	7.14	**5.17**	
नोशनल २(रु/मिमी/ हेक्ट)	212.50	**170.00**	
अवस्था अनुसार बीमा राशी(रु/हेक्ट)	5000.00	5000.00	
२. अतिवृष्टि			
संरक्षण अवधि	25 जून 2011 से 31 जुलाई 2011	1 अगस्त 2011 से 14 सितम्बर 2011	15 सितम्बर 2011 से 14 अक्टूबर 2011
सूचकांक	अवधि के दौरान किन्ही २ लगातार दिनों में अधिकतम बारिश		
स्ट्राइक (मिमी)	150.00	180.00	60.00
एक्सिट(मिमी)	350.00	380.00	160.00
नोशनल (रु/मिमी/ हेक्ट)	10.00	10.00	10.00
अवस्था अनुसार बीमा राशी(रु/हेक्ट)	2000.00	2000.00	1000.00
३. लगातार सूखे दिन	1 जुलाई 2011 से 14 सितम्बर 2011		
अवस्था अवधि	अवधि के दौरान अधिकतम लगातार सूखे दिन (सूखे दिन – 2.5 मिमी से कम बारिश)		
सूचकांक			
स्ट्राइक १ (दिन)	20.00		
स्ट्राइक २ (दिन)	32.00		
एक्सिट(दिन)	40.00		
नोशनल १ (रु/दिन/ हेक्ट)	41.67		
अवस्था अनुसार बीमा राशी(रु/दिन/ हेक्ट)	312.50		
अवस्था अनुसार बीमा राशी(रु/हेक्ट)	3000.00		
कुल बीमा राशी(रु/ हेक्ट)	18000·		
किसान का भाग(रु/ हेक्ट)	630		
कुल प्रीमियम राशि(रु/ हेक्ट)	1800		

परिशिष्ट **5- अ**

मध्य प्रदेश राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पायलट) सीजन 2011 खरीफ

कार्यान्वयन एजेंसी: चोलामंडलम एम.एस. जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

संदर्भित यूनिट एरिया संदर्भित मौसम केंद्र, फसलों के लिहाज से बीमित राशि, प्रीमियम दरें, सरकारी सब्सिडी और किसानों के प्रीमियम का हिस्सा

क्रम	फसल	ज़िला	संदर्भित इकाई क्षेत्र / तहसील	संदर्भित मौसम केंद्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केंद्र.	बीमित मौसम जोखिम और जोखिम की अवधि	प्रति हेक्टेयर बीमित राशि (रु.)	प्रति हेक्टेयर शुद्ध प्रीमियम (रु. में).	राज्य सरकार सब्सिडी प्रीमियम प्रति हेक्टेयर (रु. में).	केंद्रीय सरकार सब्सिडी प्रीमियम प्रति हेक्टेयर (रु. में).	किसानों द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर (रु. में).	बीमा करने के लिए अंतिम तिथि		बीमा कंपनी को प्रीमियम के साथ प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि	
												कर्जदार किसान	गैर कर्जदार किसान	कर्जदार किसान	गैर कर्जदार किसान
1	सोयाबीन	खंडवा	खंडवा हरसूद, पुनासा, खालवा **तथा** पंधाना	तहसील में स्थित *NCMSL/ WRMS स्वचालित मौसम केंद्र.	खंडवा स्थित **IMD स्वचालित मौसम केंद्र.	कम वर्षा 25 जून से 14 सितम्बर अधिक वर्षा 25 जून से 14 अक्टूबर सूखे दिन 01 जुलाई से 14 सितम्बर	18000	1800	585	585	630	25 जुलाई 2011	25 जून 2011	25 अगस्त 2011	25 जुलाई 2011

*-- NCMSL---National Collateral Management Services Limited, WRMS (INGEN)—Weather Risk Management Services Limited

** --IMD---Indian Meteorological Department (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग)

नोट: मौसम आधारित फसल बीमा योजना पर सेवा कर केन्द्र सरकार द्वारा निकाल ली गई है. वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या 58/2010- सेवा कर 21 दिसम्बर 2010 दिनांकित

परिशिष्ट 5-ब

चोलामंडलम एम.एस. जनरल इश्योरेंस कंपनी

मौसम आधारित फसल बीमा खरीफ — 2011.05.18

टर्म — शीट (**Term Sheet**)

कार्यान्वयन एजेंसी: चोलामंडलम एम.एस. जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

फसल -सोयाबीन

ज़िला - खंडवा

फसल	सोयाबीन	ज़िला	खंडवा
		तहसील	खंडवा, हरसूद, पुनासा, खालवा तथा पंधाना
सन्दर्भ मौसम केंद्र	तहसील स्तर पर * NCMSL/WRMS (INGEN) स्वचालित मौसम केंद्र		
वैकल्पिक मौसम केंद्र	** IMD स्वचालित मौसम केंद्र खंडवा		
डेटा प्रदाता	NCMSL/WRMS (INGEN)/IMD		
1. कम वर्षा सूचकांक			
सूचकांक	सूचकांक से कम वर्षा होने पर भुगतान		
बीमा अवधि	**25 जून - 31 जुलाई**	**01 अगस्त - 14** सितम्बर	**15** सितम्बर **- 14 अक्टूबर**
दावा भुगतान सूचकांक 1 (मिमी में)	140	200	
दावा भुगतान सूचकांक 2 (मिमी में)	35	55	
निर्गम (मिमी में)	15	30	
काल्पनिक 1 (रूपये/ मिमी / हेक्टेयर)	7.14	5.17	
काल्पनिक 1 (रूपये / मिमी / हेक्टेयर)	**212.50**	**170**	
अधिकतम भुगतान (रूपये / हेक्टेयर)	**5000**	**5000**	
2. अधिक वर्षा सूचकांक			
सूचकांक	लगातार 2 दिन की संचयी वर्षा का सूचकांक से अधिक होने पर भुगतान		
बीमा अवधि	**25 जून - 31 जुलाई**	**01 अगस्त - 14** सितम्बर	**15** सितम्बर **- 14 अक्टूबर**
दावा भुगतान सूचकांक 1 (मिमी में)	150	180	60
निर्गम (मिमी में)	350	380	160
काल्पनिक 1 (रूपये / मिमी / हेक्टेयर)	10	10	10

अधिकतम भुगतान (रूपये / हेक्टेयर)	**2000**	**2000**	**1000**
3. शुष्क दिनों सूचकांक			
सूचकांक	2.5 मिमी से कम बारिश के साथ लगातार सूखे दिन		
बीमा अवधि	**25 जून - 30 जून**	**01 जुलाई - 14** सितम्बर	**15** सितम्बर **- 14 अक्टूबर**
दावा भुगतान सूचकांक 1 (दिनों में)		20	
दावा भुगतान सूचकांक 2 (दिनों में)		32	
निर्गम (दिनों में)		40	
काल्पनिक 1 (रूपये / दिन / हेक्टेयर)		41.67	
काल्पनिक 2 (रूपये / दिन / हेक्टेयर)		312.50	
अधिकतम भुगतान (रूपये / हेक्टेयर)		**3000**	

कुल भुगतान (रूपये में)	सभी तीन सूचकांक
कुल बीमा राशि (रूपये प्रति हेक्टेयर)	18000
कुल प्रीमियम (रूपये प्रति हेक्टेयर)	1800
भारत सरकार की सब्सिडी (रूपये प्रति हेक्टेयर)	585
राज्य सरकार की सब्सिडी (रूपये प्रति हेक्टेयर)	585
किसान द्वारा देय प्रीमियम (रूपये प्रति हेक्टेयर)	630

*-- NCMSL---National Collateral Management Services Limited, WRMS (INGEN)—Weather Risk Management Services Limited

** --IMD---Indian Meteorological Department **(भारतीय मौसम विज्ञान विभाग)**

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2011.